

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला-कोरबा
(छ.ग.)

अधिसूचना

क्रमांक / 1415 / भू-अर्जन / 2024

कोरबा, दिनांक 05 / 02 / 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् -

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	पोंडी उपरोड़ा	गुड़रुमुड़ा	0.496 हे.	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23 / 02 / 2024 को, समय 12:00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, गुड़रुमुड़ा में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है -

- (1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण - रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु अर्जित होने पर
- (2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या - 04 परिवार
- (3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या - 04 परिवार
- (4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या - निरंक
- (5) प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या - निरंक
- (6) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है? - हाँ
- (7) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? - हाँ
- (8) परियोजना की कुल लागत - रु. 8340.45 लाख
- (9) परियोजना से होने वाला लाभ - रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी।
- (10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय - प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
- (11) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक - निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
पोंडी उपरोड़ा

कलेक्टर
जिला-कोरबा (छ.ग.)
एवम् पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग